Bypassing of directives regarding import of sugar

5089. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in "The Statesman" dated the 7th February, 1995 under the heading 'Sugar import directive bypasses Food Ministry';

(b) if so, what are the details of the import order placed by his Ministry; and

(c) whether the Food Ministry was consulted before placing the import order and if not, what are the reasons theerfor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government have noted the news items published in the Statesman of 7th Feb., '95.

(b) and (c) Based on the overall assessment of the demand and supply of sugar in the country, for which inputs were also provided by the Ministry of Food, Government directed the State Trading Corporation and MMTC to import sugar for the public distribution system.

भारतीय पर्यावरणीय जैव-विविधता के तत्वों का विदेशों में पेटेन्ट दिया जाना

5090. **श्री अजीत जोगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यावरणीय जैव-विविधता के तत्वों को पहले से ही विदेशों में पेटेन्ट किया जा चुका है, जो कि "गैट" समझौते के अनुसार वैध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन देशों से ये सूक्ष्म जीव संबंध रखते हैं, उन देशों को इनका लाभ मिले;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कतिपय विदेशी कंपनियों ने विदेशों में स्थित जीव बैंक में भारतीय पर्यावरणीय और जैव-विविधता के कुछ नमूनों का भंडारण किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम्: (क) से (च) सरकार विदेशों में दिए गए पेटेंटों के बारे में सूचना नहीं रखती है। भारत की जैव सामग्री के नमूने विदेशों में जीन बैंकों में उपलब्ध हैं। भारत से एकत्र की जाने वाली जैव सामग्री के लिए फिलहाल सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। तथापि, भारत ने जैव-विविधता संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें जैव सामग्री के राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर हस्तान्तरण को विनियमित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी जैविक-संसाधन पर किये गए अनुसंधान से प्राप्त होने वाली आय तथा उक्त अनुसंधान के परिणामों को यदि पटेंट दिया गया है तो उससे प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा भी उस जैविक सामग्री के स्रोत देश को मिलेगा। सरकार समझौते के प्रावधानों के अनुसार जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक कानून का प्ररूप तैयार कर रही है। इसके अलावा, सरकार पौध-उत्पादक के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाने में लगी है।

Input norms for drug products

5091. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether input norms for a number of drug products have been fixed;